[ 6/8/2025]

प्रश्न सं. [ क. 2348 ]

मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
कार्यालय महाप्रबंधक
परियोजना कार्यान्वयन
पता : एफ-1, सिंचाई कॉलोनी, जबलपुर नाका रोड, दमोह
ई मेल: gmdamoh.mpjalnigam@mp.gov.in

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 28/07/2025

वर्ग: 3 सदन में उत्तर देने की दिनांक : 06/08/2025 विभाग का नाम : जल संसाधन

विषय : सतधारू मध्य सिंचाई परियोजना।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 2348) : श्रीजयंत मलैया

क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

// प्रश्न //

(क) दमोह विधानसभा क्षेत्र में सतधारू सिंचाई परियोजना वर्ष 2018 में स्वीकृत हुई, जिसका जून 2023 में पूर्ण किया जाना था दो बार एक्सटेंशन देने के बाद भी आज दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्य में विलम्ब होने का क्या कारण है एवं यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?

(ख) परियोजना कार्य पूर्ण होने में लगभग ढाई वर्ष बिलम्ब हो चुका है, इस कारण हजारों किसानों को दूसरी एवं तीसरी फसल न ले पाने से अरबों रूपये का नुकसान हो चुका है। प्रत्येक किसान को प्रति एकड सिंचाई से लगभग 5-10 हजार रू. मुनाफा होता है। प्रश्नकर्ता कार्य में विलम्ब होने की जांच कराना चाहता है?

(ग) जल निगम द्वारा दमोह वि.स. क्षेत्र के 163 ग्रामों को पाईपलाईन के द्वारा पेयजल उपलब्ध किया जाना हैथा, परंतु पेयजल योजना सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसका क्या कारण है?

// उत्तर //

(क) प्रश्न इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

(ख) प्रश्न इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

(ग) जल निगम द्वारा दमोह विधानसभा क्षेत्र के 159 ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। जिसमें 3 ग्राम जबेरा-तेंदूखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना में एवं 156 ग्राम दमोह-पटेरा समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित है। योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय किया आ रहा है, परंतु ग्रामों में नियमित पेयजल प्रदाय न कर पाने के निम्नलिखित कारण है:-

- समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्रामों में ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन किया गया है। योजना के संचालन हेतु समिति द्वारा चयनित वाल्व आपरेटर के माध्यम से ही ग्राम अंतर्गत जल प्रदाय हेतु वाल्व संचालन का कार्य किया जाता है। परंतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विभिन्न ग्रामों में वॉल्व ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की गई है।

[illegible]
मध्यप्रदेश [illegible] का उपक्रम,
कार्यालय महाप्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन [illegible]
पता :- एफ-1, सिंचाई कॉलोनी, जबलपुर नाका रोड, दमोह
ई.मेल: gmdamoh.mpjalnigam@mp.gov.in

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नियुक्त ऑपरेटर के द्वारा उचित समय एवं मानक अनुसार वाल्व आपरेशन न करने के कारण विभिन्न ग्रामों अंतर्गत जल प्रदाय में पर्याप्त मात्रा एवं जल दबाब की समस्या उत्पन्न हो रही है।

- योजनांतर्गत विभिन्न ग्रामों में कुछ ग्रामवासियों द्वारा पाईपलाइन को क्षतिग्रस्त कर अवैध कनेक्शन कर लिये गये है तथा पेयजल की निरंतर चोरी की जा रही है। जिस कारण से ग्राम अंतर्गत निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित दबाब से जल प्रदाय करने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

- योजनांतर्गत विभिन्न ग्रामों में कुछ ग्रामवासियों द्वारा घरेलू नल कनेक्शन में अवैध रूप से पंप/मोटर का इस्तेमाल कर पानी की चोरी की जा रही है। जिससे कि ग्राम में अन्य ग्रामवासियों को पर्याप्त मात्रा एवं निर्धारित प्रेशर से जल प्रदाय करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तथा ग्राम में अंतिम छोर तक जल प्रदाय नहीं हो पा रहा है।

- योजनांतर्गत बिछाई गई पाईप लाइनों को रोड़ विस्तारीकरण, ग्राम पंचायत अंतर्गत विभिन्न निमार्ण कार्यों (नाली निर्माण, आदि) एवं अन्य विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के दौरान निरंतर क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। शासकीय संपत्ति की हानि हो रही है। जिस कारण ग्रामों में नियमित जल प्रदाय बाधित हो रहा है, ग्रामवासियों को असुविधा हो रही है।

- विगत माह सामान्य से अधिक वर्षा के कारण दमोह विद्युत सब-स्टेशन से योजना के जल शोधन संयंत्र तक बिछाई गई उच्च दाब विद्युत लाईन में बार-बार फॉल्ट होने का कारण जल शोधन संयंत्र के निरंतर संचालन में बाधा उत्पन्न हुई है, जिस कारण विभिन्न ग्रामों में निरंतर जल प्रदाय नहीं हो सका है एवं दमोह-पटेरा योजना के इंटैक वेल के विद्युत पैनल में गंभीर क्षति होने से पेयजल सुचारू नहीं हो पाया है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था कर 156 ग्रामों को अंतराल से पानी दिया जा रहा है एवं विद्युत पेनल का सुधार कार्य प्रगतिरत है।

(गौरव सराफ)
महाप्रबंधक

3